CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAD TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्र. 2556 / छगस्वावितविवि / अका. / 2017 भिलाई–नेवई, दिनांक 25.11.17

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध पॉलीटेक्निक संस्थान,
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,
भिलाई (छ.ग.)।

विषयः वरिष्ठता सूची हेतु संस्था की जानकारी उपलब्ध कराने विषयक।

विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय की ओर सभी पॉलीटेक्निक संस्थानों के शैक्षणिक पदों में सेवारत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 01 जनवरी 2018 की स्थिति में तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आप अपने संस्थान के नियमित शिक्षकों (शासन द्वारा नियुक्त / विश्वविद्यालय परिनियम 19) की जानकारी पदवार निर्धारित प्रारूप में दिनांक 06 दिसम्बर 2017 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित प्रारूप में जानकारी कृपया सी.डी. में उपलब्ध करावें। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त जानकारी पर कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जावेगी।

संलग्नः प्रारूप / प्रपत्र

कुलसचिव
छगस्वावितविवि, भिलाई

Newai, P.O. Newai, Bhilai, Distt. Durg (Chhattisgarh) - 491107
Ph. No. : 0788 - 2200062, Fax : 0788-2445020, Website : www.csvtu.ac.in, E-mail : registrar@csvtu.ac.in

Name of Institute ____________________________

Regular Faculty Details

Post- Principal/HOD/Lecturer

Sl.No	UID No	Faculty Name	DOB	Dept/Branch	Date of Appointment on the present post	Date of first Appointment	Remarks

INSTITUTE SEAL

Principal

वरिष्ठता सूची सम्बन्धी जानकारी भेजने हेतु दिशा–निर्देश

1. विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची में केवल परिनियम (Statute) 19 के तहत चयनित व संस्था के नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों का नाम ही शामिल होगा।
2. विश्वविद्यालय की चयन समिति द्वारा Proterm Lecturer/Proterm Asst. Professor का नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जावेगा अतः उनका नाम भेजने की आवश्यकता नहीं है।
3. संस्था परिवर्तन की स्थिति में एक संस्था से कार्यमुक्ति आदेश (Relieving order) के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर अन्य संस्था में कार्यभार (Joining) ग्रहण करने पर ही वरिष्ठता का लाभ मिलेगा। वरिष्ठता सूची में नाम शामिल करने के लिए कार्यमुक्ति आदेश (Relieving order) तथा नयी संस्था में कार्यभारत ग्रहण (Joining report) की प्रति संलग्न होना चाहिए।
4. विश्वविद्यालय के परिनियम (Statute) 19 के तहत चयनित होने पर विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक या बाद की कार्यभारत ग्रहण तिथि (Joining report) मान्य होगी। चयन पूर्व की तिथि मान्य नहीं की जावेगी।
5. संस्था से भेजी जाने वाली जानकारी केवल निर्धारित प्रपत्र में वर्तमान स्थिति के संबंध में जिनका उससे संबंध है वही भेजी जावे न कि पूरी संस्था के शिक्षकों की।
6. विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची की प्रावधिक (Provisional) सूची प्रकाशित की जावेगी, जिसके प्रकाशन तिथि से 15 दिवसों में ही दावा आपत्ति मान्य की जावेगी।
7. विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची (01 जनवरी 2017 की स्थिति में) विश्वविद्यालय की वेबसाइट (Website) में उपलब्ध हैं। सभी संबंधित सूची का अवलोकन करने के बाद ही तदानुसार जानकारी भेजें।
8. संस्था प्रमुख इस आशय का शपथ पत्र देंगे कि संलग्न प्रपत्र में Category-I से Category-IV की जानकारी पूर्ण एवं सत्य है एवं सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये संस्था प्रमुख स्वयं उत्तरदायी होगा।

कुलसचिव
छगस्वावितविवि, भिलाई